

प्रकाश क्रमांक R-5124-दो.15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सीक्रेट कोर्ट रीवा म.प.

श्री आदित्य प्रसाद विषादी
एड. व्यापक पेशा 21-10-15
[Signature]



10/

1. अमर बहादुर सिंह पिता श्री बड़ी सिंह, उम्र-52 वर्ष, पेशा खेती,
निवासी ग्राम भूरा, तह. अमरपाटा जिला सतना म.प.

----- निगरानीकर्ता

478
21-10-15

बनाम

- 1. श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी रणजीत सिंह, नि. ग्राम भूरा तह. अमरपाटा
- 2. रघुराज सिंह पिता शुभकर सिंह, निवासी ग्राम बिडिया, तह.
अमरपाटा जिला सतना म.प.
- 3. शैलेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह
- 4. पुष्पराज सिंह पिता रणजीत सिंह
- 5. तेजराज सिंह पिता चन्द्रशेखर सिंह



सभी नि. ग्राम भूरा, तह.
अमरपाटा जिला सतना म.प.

----- गैर निग. गण

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार तह. अमरपाटा
जिला सतना म.प. क्रमांक 2अ-12/14-18
आदेश दि. 18.8.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प. भू-राजस्व
सींहता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

- 01- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.8.15
विधि अनुकूल न होने से निरस्त योग्य है।
- 02- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सीमांकन की पुष्टि
के दौरान सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है कि चौहद्दी काशतकरों
को विधिकृत सूचना नहीं दी गई है। इसके बावजूद आदेश दिया गया है।

[Signature]


[Signature]

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक RS/24-III/15 जिला सतना

..... विरुद्ध कृष्ण सिंह वीरह

| 1 | 2 | 3 |
|----------------|--|---|
| <p>15-1-19</p> | <p>1. आवेदक की ओर से श्री. आदि. (य. प्रसाद सिपाही) अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील अमरघाट के प्रकरण क्रमांक <u>219/2/2014-2015</u> में पारित आदेश दिनांक <u>18-08-2015</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-03-2019</u> को कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p align="right">  सदस्य </p> | |